

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, फैजाबाद, गोण्डा, बलरामपुर,
बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुरखीरी, पीलीभीत, बलिया एवं बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपदों में खोज एवं बचाव के सामान्य उपकरणों के क्रय हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराना है कि दैवी आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या-1082/1-10-2014-33(57)/2013, दिनांक 08.12.2014 द्वारा आपदाओं के प्रति जन सामान्य को जागरूक एवं प्रशिक्षित कर उनके क्षमता संबर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान माकड्रिल के माध्यम से खोज एवं बचाव के सामान्य उपकरणों के प्रयोग कर आपदाओं के समय अपना एवं समुदाय के लोगों का बचाव किए जाने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए उपकरण जनपद स्तर पर क्रय किये जाने का निर्णय लेते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है।

2- उक्त निर्णय के क्रम में सम्बन्धित उपकरणों को क्रय किये जाने के लिए सम्बन्धित जनपदों को निम्नानुसार ₹0 4,78,80,000/- (रुपये चार करोड़ अठहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रुपये में)
1	गोरखपुर	34,20,000
2	बस्ती	34,20,000
3	सिद्धार्थनगर	34,20,000

4	संत कबीरनगर	34,20,000
5	फैजाबाद	34,20,000
6	गोण्डा	34,20,000
7	बलरामपुर	34,20,000
8	बहराइच	34,20,000
9	श्रावस्ती	34,20,000
10	सीतापुर	34,20,000
11	लखीमपुरखीरी	34,20,000
12	पीलीभीत	34,20,000
13	बलिया	34,20,000
14	बाराबंकी	34,20,000
		4,78,80,000

- 3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-क्षमता निर्माण-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि से उपकरणों का नियमानुसार क्रय शासनादेश दिनांक 08.12.2014 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से उपकरणों के क्रय के पश्चात इसका उपभोग प्रमाण पत्र अलग से शासन को प्रेषित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों एवं उनके अभिलेखों का रख-रखाव जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 5- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।
- 6- किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

7- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भगदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 1/61 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(मदन मोहन)

अनु सचिव।